न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 291/2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024/478

प्रार्थी बनाम विप्रार्थीगण

सुमित कुमार पुत्र महेन्द्रकुमार
जाति संत
निवासी समदड़ी रोड़ बालोतरा
तहसील पचपदरा जिला बालोतरा

1.मदनलाल पुत्र सोहनराज
2.राजेन्द्र कुमार पुत्र सोहनराज
जाति ओसवाल
3.जगदीश प्रसाद पुत्र भैराराम
4.रतिराम पुत्र श्रीराम जाति माली
5.लाभूदेवी पत्नी धुड़ाराम जाति देवासी
6.वेरीलाल पुत्र दुरगाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी–जसोल
तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा
7.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1.श्री भूपेन्द्र गहलोत अधिवक्ता प्रार्थीगण

2.श्री भगवतसिंह राठौड़ अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 1 व 2

3. विप्रार्थी संख्या 3 से 7 एकपक्षीय

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

आदेश

दिनांक 04/03/2025

1.संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम तेमावास पटवार हल्का मेवानगर तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 582/189 क्षेत्रफल 0.2347 हैक्टेयर, खसरा संख्या 584/189 क्षेत्रफल 0.2509 हैक्टेयर, खसरा संख्या 590/182 क्षेत्रफल 1.3678 हैक्टेयर, खसरा संख्या 585/182 क्षेत्रफल 0.3723 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमांओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। अतः

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

प्रार्थी द्वारा ग्राम तेमावास पटवार हल्का मेवानगर तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 582/189 क्षेत्रफल 0.2347 हैक्टेयर,खसरा संख्या 584/189 क्षेत्रफल 0.2509 हैक्टेयर, खसरा संख्या 590/182 क्षेत्रफल 1.3678 हैक्टेयर,खसरा संख्या 585/182 क्षेत्रफल 0.3723 हैक्टेयर भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2.प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्र्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामीलशुदा प्राप्त हुए। अधिवक्ता श्री भगवतसिंह राठौड़ द्वारा विप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से वकालतनामा कर इकबाली जवाब पेश किया गया शेष विप्रार्थीगण को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.हमनें दोनो पक्षो अधिवक्तों की बहस सुनी। प्रार्थी अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम तेमावास पटवार हल्का मेवानगर तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 582/189 क्षेत्रफल 0.2347 हैक्टेयर,खसरा संख्या 584/189 क्षेत्रफल 0.2509 हैक्टेयर, खसरा संख्या 590/182 क्षेत्रफल 1.3678 हैक्टेयर,खसरा संख्या 585/182 क्षेत्रफल 0.3723 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी कीं भूमि आई हुई है,वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगड़ालू प्रवृति का होने के कारण आये दिन प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थी द्वारा विप्रार्थी को मना करने के उपरांत भी विप्रार्थी प्रार्थी की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने में बाज नहीं आ रहे है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम तेमावास पटवार हल्का मेवानगर तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 582/189 क्षेत्रफल 0.2347 हैक्टेयर,खसरा संख्या 584/189 क्षेत्रफल 0.2509 हैक्टेयर, खसरा संख्या 590/182 क्षेत्रफल 1.3678 हैक्टेयर,खसरा संख्या 585/182 क्षेत्रफल 0.3723 हैक्टेयर भूमि की नेखमबन्दी के आदेश किया जावें।

4. विप्रार्थी संख्या 1 व 2 अधिवक्ता नें वक्त बहस निवेदन किया कि प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाता है तो विप्रार्थी को आपति नहीं है।

5.हमनें उभयपक्ष अधिवक्तो की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड,दस्तावेजात एवं सीमाज्ञान रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम तेमावास पटवार हल्का मेवानगर तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 582/189 क्षेत्रफल 0.2347 हैक्टेयर,खसरा संख्या 584/189 क्षेत्रफल 0.2509 हैक्टेयर, खसरा संख्या 590/182 क्षेत्रफल 1.3678 हैक्टेयर,खसरा संख्या 585/182 क्षेत्रफल 0.3723 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

की जमाबंदी संवत 2074–2077 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसका प्रार्थी हकदार प्रतीत होता है। विप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किए जाने पर सहमति दी गई है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 आर.एल.आर. उल्लेख करना उचित समझते है,जिसके अनुसार :–**धारा 128 सीमा विवाद**–सम्बन्धी समस्त विवाद भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेगें:

1.(परन्तु खेतो के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन–पत्र,जहां यद्यपि ऐसी सीमा के विषय मे कोई विवाद विधमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठानें की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेगें तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेगें)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है,कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादो का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 24.7.2024 के अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं में विवाद होने का उल्लेख नहीं है। ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128(1) के अनुसरण में निर्विवाद मामलो को तहसीलदार द्वारा निपटाया जाना है,अंतः हस्तगत प्रकरण में हम प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बाबत् तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना–पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते हैं।

6.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश करवानें के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन आशिंक स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन–पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आशिंक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम तेमावास पटवार हल्का मेवानगर तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 582/189 क्षेत्रफल 0.2347 हैक्टेयर,खसरा संख्या 584/189 क्षेत्रफल 0.2509 हैक्टेयर, खसरा संख्या 590/182 क्षेत्रफल 1.3678 हैक्टेयर,खसरा संख्या 585/182 क्षेत्रफल 0.3723 हैक्टेयर भूमि की पैमाईश करने हेतु एक राजस्व टीम का गठन कर मुस्तकिल बिन्दु से विवादित आराजी की सीमाओं का चिन्हिकरण करते हुए पैमाईश कर विधिनुसार कार्रवाई करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है। यदि विवाद हो,तो पालना रिपोर्ट पेश करे।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी (B.D.O.) बालोतरा

आदेश आज दिनांक 04/03/2025 लिखा जाकर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा
04/3/25